हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीनी, शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2014

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48 (2) के दृष्टिगत तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या–1–487/99–फिन(एल0ए0)–खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूर्वाकेक्षण के आधार पर किया गया है।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0 सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाख में (रू0)
1	विपणन बोर्ड की विभिन्न मण्डी समितियों से मण्डी शुल्क के रूप में दिनांक 31.3.14 को वसूली योग्य राशि का शेष पाया जाना	4(ख)(ii)	945.53
2	विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाये गये डिपोजिट कार्यो के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में अन्तर पाया जाना	5	954.70
3	Income Tax Recoverable Account की वसूली योग्य राशि का समायोजन न करना	6	374.10
4	निर्माण कार्यों के लिए दी गई अग्रिम राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	7	47.72
5	कर्मचारियों/अधिकारियों व अन्य संस्थाओं को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	8	1.76
6	चालू देनदारियों/संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित राशि का विवरण न दिया जाना।	12	61.95

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण परीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने पर अनिर्णीत पैरों की स्थिति **परिशिष्ट "क"** के अनुसार दर्शाई गई है। अतः अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीध्र आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से इस कार्यालय को शीध्र अवगत करवाया जाए।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री जगजीत सिंह पटियाल (सहायक नियन्त्रक), श्री हेमराज भारद्वाज (सहायक नियन्त्रक), श्री सोम राज कपूर (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) तथा श्री संजीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पूर्व लेखा परीक्षा प्रणाली के आधार पर किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया। विपणन बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा में कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाये जाने के कारण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षण शुल्क ₹14,99,503/– (चौदह लाख निनानवे हजार पॉच सौ तीन) आंका गया। विपणन बोर्ड द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि चैक संख्या 801147 दिनांक 18.11.2014 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के कार्यालय में जमा करवा दी गई हैं।

4 वार्षिक लेखे (Annual Accounts)

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2013 से 31.3.14 के वार्षिक लेखें चार्टड आकऊटैन्ट द्वारा तैयार किए गए। वार्षिक लेखों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

(ख) Financial Analysis on the Accounts of H.P State Agricultural Marketing Board Shimla for the period 4/13 to 3/14

Financial Data for the last three years

Income (in Lacs)

Period	Share of Market Fees from APMC	Interest on FDR's and Saving A/C	Other Income	Total Income
2011.12	575.53	158.71	9.01	743.25
2012.13	645.65	287.27	6.68	939.60
2013.14	509.52	266.22	6.54	782.28

Expenditure (in Lacs)

Period	Salary +wages	Admn. Charges	Vehicle R+M	Other Exp.	Excess of Income over Exp.	Total
2011-12	175.60 (23.62%)	23.91 (3.21%)	9.15 (1.23%)	24.51	510.08	743.25
2012-13	205.25 (21.84%)	19.38 (2.06%)	9.41 (1.00%)	24.21	681.35	939.60
2013-14	202.96 (25.94%)	33.79 (4.31%)	12.02 (1.53%)	32.35	501.16	782.28

Note:- (Figures mentioned in the brackets are expressed as % of total income)

(i) A review of Financial Data of H.P State Agricultural Marketing Board for the last three years enumerated above reveals that there is decrease in the income of the Board in the year 2013-14 as compared to 2012-13. It is pertinent to mention here that during the year 2013-14, 25% share of market fees amounting to ₹509.52 lacs have been realized by Marketing Board from various Market Committees as compare to share of market-fees of Rs.645.65 lacs which was realized during the period for 2012-13.

(ii) It is also noticed from the record that the outstanding amount of 25% share of market fee as on 31-3-14 is Rs. 945.53 Lacs (परिशिष्ट–"ग") Therefore, efforts may be made for realizing the outstanding market fees because as per provisions contained under Section–44 of H.P State, Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act –2005, every Market Committee is required to charge market fee on sale and purchase of notified agricultural produce @ (1%) and further as per provisions contained under section 49(3) of the Act, 25% share of market fee so received shall be deposited by all the Market Committees with the Board.

(ग) Staff/Man power of the Board

The position of total sanctioned posts of the Board, filled up posts and vacancy position for the last three years is as under:-

Year	Total Sanctioned Post	Filled up posts	Vacant
2011-12	61	44	17
2012-13	60	41	19
2013-14	57	42	15

Note:- The detailed position of various posts for the year 2013-14 is given in (परिशिष्ट घ), which is attached with this audit report.

5 विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गये डिपोजिट कार्यो के अर्न्तगत बोर्ड के खातों में ₹954.70 लाख का अन्तर पाया जाना

विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गये डिपोजिट कार्य हेतु समय–समय पर धन राशि प्राप्त की गई है। इन कार्यो के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों को भुगतान करने के लिए अधिशाषी अभियन्ता को अग्रिम राशि भुगतान की गई है तथा शेष राशि को समिति–वार बैंक खातों में रखा गया दर्शाया गया है। विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए किए गए कार्यों से सम्बन्धित असमायोजित राशियों को **अनुसूचि–II** में दर्शाया गया है तथा दिनांक 31.3.2014 को "Capital Work in Progress" शीर्ष के अन्तर्गत (₹4,47,46,261 – ₹2,20,207 = ₹4,45,26,054) के कार्य Assests के रूप में दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन डिपोजिट कार्यो के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों को भुगतान करने के लिए **अनुसूचि–III** में Assets के रूप में दिनांक 31.3.2014 को अधिशाषी अभियन्ता के खाते में ₹26,06,96,663/–शेष दर्शाई गई है। इस प्रकार इस शीर्ष में विपणन बोर्ड के Assets के रूप में (₹4,45,26,054 + ₹26,06,96,663 = ₹30,52,22,717) दर्शाई गई हैं। उक्त ₹30,52,22,717/– के विरूद्व विपणन बोर्ड के तुलन पत्र में इन डिपोजिट कार्यो हेतु विभिन्न समितियों से प्राप्त राशियों को **अनुसूचि–IV** में दर्शाया गया है तथा दिनांक 31.3.2014 में **"Current Liabilities"** शीर्ष के अन्तर्गत ₹20,35,87,078/– असमायोजित दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त **अनुसूचि–IV** में ही ठेकेदारों को ₹61,65,619/– प्रतिभूति (Security) के रूप में देय है। इस प्रकार विपणन बोर्ड द्वारा इन निर्माण कार्यो से सम्बन्धित कुल देनदारियां (₹20,35,87,078 + ₹61,65,619 = ₹20,97,52,697) दर्शाई गई है। इस प्रकार विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गए डिपोजिट वर्कस/कार्यो के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में (₹30,52,22,717 – ₹20,97,52,697 = ₹9,54,70,020) का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की इस राशि की संस्था स्तर पर पूर्ण छानबीन करके इन राशियों का मिलान किया जाए तथा इन सभी राशियों को समायोजित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 **Income Tax Recoverable Account की वसूली योग्य ₹374.10 लाख का समायोजन न करना**

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि–III** में **"Current Assets, Loans and Advances"** लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2014 को आयकर वापसी खाते में ₹3,74,10,982/–समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है। इस लेखा शीर्ष की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशि वर्ष 2004–05 से संचित होती आ रही है तथा दिनांक 31.3.2014 को इस असमायोजित राशि का शेष ₹3,74,10,982/– था। अतः विपणन बोर्ड को सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकरण में भी त्वरित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये।

7. **निर्माण कार्यों के लिए दी गई अग्रिम ₹47.72 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना**

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि–III** में **"Current Assets Loans and Advances"** लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2014 को निर्माण कार्यो के लिए अग्रिम राशि के खाते में ₹47,71,990/–का शेष दर्शाया गया है। इस लेखा शीर्ष की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशियॉ विभिन्न संस्थाओं को निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु भुगतान की गई है लेकिन इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र विपणन बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं किये गये है और न ही इन राशियों का समायोजन किया गया है। अतः भुगतान की इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके तदानुसार इन राशियों का समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8. **अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य संस्थाओं को दी गई अग्रिम ₹1.76 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना**

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र के **अनुसूचि–III** में **"Advances to Staff"** लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2014 को अधिशाषी अभियन्ता को दिए गए अग्रिम, House Building Advance व शिक्षा ऋण के अतिरिक्त स्टॉफ अग्रिम एवं अन्य सस्थाओं के खाते में ₹1,76,916/–समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	श्री अरविन्द कुमार कनिष्ठ अभियन्ता	5000
2	श्री मोहन लाल ड्राईवर	10000
3	श्री जगदीश राज ड्राईवर	30000
4	श्री अशोक कुमार क0 अभियन्ता	5000
5	श्री हंस राज कपूर	6000
6	श्री जोगिन्द्र सिंह, क0 अभियन्ता	5000
7	श्री सुखराम कनिष्ठ अभियन्ता	85316
8	श्री दीवना चन्द, चपड़ासी	10000
9	एम0डी0एच0पी0 स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स	8600
10	श्री संजय जोशी, विधि अधिकारी	7000
11	श्री देवेन्द्र श्याम, सलाहकार	5000
	योग	**176916**

अतः उपरोक्त असमायोजित अग्रिम राशियों का समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस राशि का समायोजन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंक बचत खातों में जमा ₹10,57,76,929 तथा सावधि खाता के खाते में जमा ₹30,05,02,903 तथा सी0 पी0 एफ0 के सावधि/बचत खाता में जमा ₹10,05,43,905 के बारे में

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि III** में दिनांक 31.3.14 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में ₹10,57,76,929/– जमा दर्शाई गई परन्तु इन खातों में दर्शाई गई राशियों का मिलान विपणन बोर्ड द्वारा बैंक विवरणी तैयार करके तथा बैंक सर्टिफिकेट/बैंक स्टेटमैन्ट इत्यादि से नहीं किया गया।

अतः इन राशियों का मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि–III** के अनुसार दिनांक 31.3.14 को सावधि जमा योजना में निवेशित ₹30,05,02,903/– दर्शाई गई है, जबकि सावधि जमा विवरणी के अनुसार ₹30,05,04,952/– दर्शायी गई है, जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ड़"** में दिया गया है। अतः इस सन्दर्भ में ₹2,049/– के अन्तर का मिलान किया जाए। उक्त के अतिरिक्त विपणन बोर्ड द्वारा सी0पी0एफ0 से सम्बन्धित सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में भी (₹10,02,40,201 + ₹3,03,744.44 = ₹10,05,43,905) निवेशित की गई है जिसमें से सावधि जमा योजना में निवेशित ₹10,02,40,201/– का विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है।

10. हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तुलन पत्र में अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ) के खातों को गलत सम्मिलित किया जाना

हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि तुलन पत्र में अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) की देनदारियों व निवेशों को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि नियमानुसार सही नही है। इससे विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति सही एवं वास्तविक परिलाक्षित नहीं होती। अतः इसे अलग से दर्शाया जाये।

11. सी0पी0एफ0 लेखों के दायित्व के अन्तर के बारे में

विपणन बोर्ड के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र दायित्व पक्ष में **अनुसूचि–IV** में (₹5,11,53,421 + ₹5,03,83,840 + ₹4,18,023 = ₹10,19,55,284)दायित्व के रूप में दर्शाई गई है, जबकि अंशदान भविष्य निधि रजिस्टर तथा उससे सम्बन्धित प्रस्तुत विवरणी, जो कि **परिशिष्ट "छ"** पर संलग्न है, के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि के खातों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्त में ₹10,02,46,887/– देय थी। इस प्रकार अंशदायी भविष्य में निधि के खातो में (₹10,19,55,284 – ₹10,02,46,887 = ₹17,08,397) दायित्व पक्ष में अधिक दर्शाई गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

12. चालू देनदारियॉ/संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित ₹61.95 लाख का विवरण न दिए जाने बारे

विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित ₹61,95,365/– की देनदारियॉ **अनुसूचि–IV** में दर्शाई गई है। इन राशियों का प्रति व्यक्ति/ठेकेदार से सम्बन्धित देनदारी का विस्तृत विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः उक्त विवरण तैयार करके तथा इनका प्रतिभूति रजिस्टर तथा सम्बन्धित अभिलेख के साथ मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूति राशियों की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

13. विभिन्न विभागों से विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त राशियों के बारे में

विपणन बोर्ड के तुलन–पत्र की **अनूसूचि–IV** में विभिन्न विभागों से विभिन्न कार्यो हेतु प्राप्त की राशियों के बारे में भी पूर्ण विवरण अभिलेख सहित दिया जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह राशियाँ किन–2 उद्देश्यों हेतु प्राप्त की गई है।

14. आय की ₹1.52 लाख को चालू देनदारियॉ "currant liabilities" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनूसूचि–IV** में चालु देनदारियॉ **"current liabilities"** शीर्ष के उपशीर्ष ''अन्य देनदारियों'' के अन्तर्गत ₹1,52,805/– लाख दर्शाई गई है, जबकि यह राशि विभिन्न विपणन समितियों से उनको बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रिंट स्टेशनरी की लागत के रूप में प्राप्त की गई है, जिसे बोर्ड के लाभ–हानि खाते में आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार ₹1.52 लाख की आय को चालू देनदारियाँ शीर्ष के अन्तर्गत गलत दर्शाया गया है, जिसकी संस्था स्तर पर जाँच करके इसे उचित शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

15. विभिन्न विपणन समितियों के निर्माण कार्यों पर खर्च की गई ₹4,45,26,054 को "Work in progress" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाना

विपणन बोर्ड के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र की **अनूसूचि–II** में **"Work in**

progress" शीर्ष के अन्तर्गत ₹4,47,46,261 बोर्ड की सम्पति के रथ में दर्शायी गई है, जिसमें (₹4,47,46,261 – ₹2,20,207 = ₹4,45,26,054) विभिन्न विपणन समितियों के निर्माण कार्यों पर खर्च की गई है, जोकि बोर्ड की सम्पति नहीं है। इस प्रकार उक्त राशि गलत तरीके से बोर्ड की सम्पति के साथ में दर्शाने से बोर्ड की सम्पति एंव दायित्यों की सहीं एवं वास्तविक वितीय स्थिति परिलाक्षित नहीं होती। अतः इस राशि को विभिन्न समितियों से प्राप्त अग्रिम राशि से कम करके इसे उचित शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. भूमि एवं भवन (Land and Building) पर मूल्य ह्रास (Depreciation) की राशि में भूमि के मूल्य पर भी ह्रास की राशि को भी दर्शाया जाना

विपणन बोर्ड के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र की **अनुसूची–I** के "Fixed Assets" शीर्ष के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 में "Fixed Assets" पर मूल्य ह्रास की ₹18,09,943/– दर्शाई गई है, जिसमें भूमि एवं भवन के मूल्य ह्रास की ₹5,34,735 भी शामिल है। आयकर अधिनियम में भूमि पर मूल्य ह्रास का कोई प्रावधान नहीं है। अतः भूमि एवं भवन की लागत जो ₹53,47,347 है, में से भूमि की लागत को अलग किया जाए तथा केवल भवन की लागत पर ही मूल्य ह्रास लगाया जाए, ताकि विपणन बोर्ड के लाभ व हानि की सही स्थिति परिलाक्षित हो।

17. विपणन बोर्ड के वर्ष 2013–14 में लाभ व हानि खाते में ₹37500 का खर्चा न दर्शाकर तुलन पत्र में आय देनदारियों को कम दर्शाया जाना

विपणन बोर्ड की वर्ष 2013–14 की खातावही की जॉच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 में स्टाफ की ट्रेनिगं हेतु ₹37,500/– का खर्चा किया गया, जिसे विपणन बोर्ड के वर्ष 2013–14 के लाभ हानि खाते में नहीं दर्शाया गया अपितु विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि–IV** के शीर्ष **"अन्य देनदारियों"** में उक्त ₹37,500/– को कम करके दर्शाया गया है। वास्तव में विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.2014 को भारत सरकार के कृषि मत्रांलय से ₹5,80,000/– ट्रेनिंग हेतु अनुदान प्राप्त की गई थी, परन्तु विपणन बोर्ड के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र की **अनुसूचि–IV** में **'अन्य देनदारियों'** शीर्ष के अर्न्तगत केवल ₹5,42,500/– को ही दर्शाया गया है। इस प्रकार तुलन पत्र में अन्य देनदारियों से ₹37,500/–

कम करके दर्शाया गया है। अतः उक्त के बारे में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. सावधि जमा खाते में ब्याज की ₹2,088 की कम प्राप्ति दर्शाना

विपणन बोर्ड के सावधि जमा खाते (Board Fund) के (Sr. No.128) के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में दिनांक 18.4.2012 को ₹58,15,253/– सावधि जमा खाते संख्या 372698 में एक वर्ष के लिए 9.75 प्रतिशत की ब्याज की दर से निवेशित की गई, जिसकी दिनांक 18.4.2013 को परिपक्वता राशि (Maturity value) ₹64,03,310 बनती थी, जबकि परिपक्वता पर बैंक से ₹64,01,222/– प्राप्त हुई। इस प्रकार परिपक्वता पर ब्याज की ₹2,088 कम प्राप्त हुई, जिसे अब सम्बन्धित बैंक से प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

19. रिट्रैंचमैन्ट

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹6,45,821/–की कटौती बोर्ड के विभिन्न बिलों के पूर्वा अंकेक्षण के दौरान की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में विपणन बोर्ड में आन्तरिक जाँच की प्रणाली को सुदृढ करके सभी प्रकार के बिलों को Scrunity करके ही इसे अंकेक्षण में पारित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए।

20. निष्कर्ष

लेखाओं के रख रखाव में उचित सुधार हेतु आन्तरिक पर्यवेक्षण को मजबूत किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों से दिनांक 31.3.2014 तक ₹945.53/– लाख बतौर मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग वसूली हेतु शेष है, जिसकी वसूली हेतु विशेष पग उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि उक्त राशि का विपणन बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन अधिनियम की धारा 46 (4) के अन्तर्गत प्रावाधनित प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सके।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)30/76–खण्ड–9–4739–41 दिनांकः 17.08.2015 शिमला–09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–02 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करवाएं।
2. विशेष सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश, शिमला–02
3. सहायक नियन्त्रक (लेख परीक्षा), प्रभारी अंकेक्षण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट (क) पैरा 1 (ग)

(क) अवधि 4/1983 से 3/1984

बोर्ड के अवधि 4/1983 से 3/1984 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियों पर की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया, जिस पर अभी भी कार्रवाई अपेक्षित है। अतः लम्बित आपत्तियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करके अनुपालना से यथाशीघ्र अंकेक्षण को सूचित किया जाए। अवधि 4/1983 से 3/1984 के अनिर्णीत पैरों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1.	पैरा 2 (a) to (c)	अनिर्णीत
2.	पैरा 3	अनिर्णीत
3.	पैरा 4	अनिर्णीत
4.	पैरा 5(a) to (b)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(a) to (c)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7	अनिर्णीत
7.	पैरा 8(a) to (c)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9(a) to (b)	अनिर्णीत
9.	पैरा 10	अनिर्णीत
10.	पैरा 11	अनिर्णीत
11.	पैरा 12(a) to (i)	अनिर्णीत
12.	पैरा 13(a) to (c)	अनिर्णीत
13.	पैरा 14(a) to (e)	अनिर्णीत
14.	पैरा 15(i) to (xi)	अनिर्णीत
15.	पैरा 16(i) to (xxiv)	अनिर्णीत

(ख) अवधि 4/2001 से 3/2003

1	पैरा—7	अनिर्णीत

2	पैरा–11 (1)	अंशतः निर्णीत	(श्री अशोक वत्तस, कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता के क्रमशः ₹14953 तथा ₹16428 के प्रतिनियुक्ति भते वसूली हेतु शेष है)
3	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–20 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–23	अनिर्णीत	
8	पैरा–24 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–24 (3) (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–25	अंशतः निर्णीत	(श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता से ₹1615 की वसूली हेतु शेष है)
11	पैरा–30	अनिर्णीत	(श्री सुख राम कनिष्ठ अभियन्ता को भुगतान की गई ₹95316/– समायोजन हेतु शेष है)
12	पैरा–31 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–32	अनिर्णीत	
14	पैरा–33 (1) (2)	अनिर्णीत	
15	पैरा–33 (3) (4)	अनिर्णीत	
16	पैरा–33 (5 से 7)	अनिर्णीत	
17	पैरा–33 (8)	निर्णीत	अभिलेख की पुनः जॉच के उपरान्त ₹49217/– की वसूली के स्थान पर ₹35040/– की बनती थी जिसे रसीद सं0 38/338 दिनांक 26.7.2014 ₹34997/– व रसीद सं0 55/343 दिनांक 26.6.2015 रू0 63/–रू0 द्वारा जमा कर दिया गया है।

18	पैरा–33 (9 से 17)	अनिर्णीत
19	पैरा–34 (1 से 14)	अनिर्णीत
20	पैरा–35 (1 से 15)	अनिर्णीत
21	पैरा–36 (1 से 4)	अनिर्णीत
22	पैरा–36 (6)	अनिर्णीत
23	पैरा–36 (10)	अनिर्णीत
24	पैरा–40 (1 से 4)	अनिर्णीत
25	पैरा–41 (1 से 4)	अनिर्णीत
26	पैरा–45 (1 से 3)	अनिर्णीत
27	पैरा–48 (1 से 2)	अनिर्णीत
28	पैरा–50	अनिर्णीत
29	पैरा–51	अनिर्णीत
30	पैरा–52 (1 से 11)	अनिर्णीत
31	पैरा–56 (3, 4)	अनिर्णीत
32	पैरा–59 (1, 2, 5)	अनिर्णीत
33	पैरा–61 (3)	अनिर्णीत
34	पैरा–86 (1)(2)	अनिर्णीत

(ग) अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा–(5) (6) (8) (9) (10)	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (घ)(ड़)	अनिर्णीत
3	पैरा–18 (छ)	अनिर्णीत
4	पैरा–20 (ड.)	अनिर्णीत
5	पैरा–22 (1) (2) (3) (क) (4) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–23 (क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत
7	पैरा–27(1)(2)	अनिर्णीत
8	पैरा–31	अनिर्णीत

9	पैरा–32	अनिर्णीत
10	पैरा–35 (क)(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा– 37	अनिर्णीत
12	पैरा– 38	अनिर्णीत
13	पैरा– 43	अनिर्णीत
14	पैरा– 45 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा–46	अनिर्णीत
16	पैरा– 47	अनिर्णीत
17	पैरा– 48	अनिर्णीत
18	पैरा–49	अनिर्णीत
19	पैरा–50	अनिर्णीत
20	पैरा–53	अनिर्णीत

(घ) अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–18	अनिर्णीत
12	पैरा–19	अनिर्णीत
13	पैरा–20	अनिर्णीत
14	पैरा–21	अनिर्णीत
15	पैरा–22	अनिर्णीत

16	पैरा—23	अनिर्णीत
17	पैरा—24	अनिर्णीत
18	पैरा—25	अनिर्णीत
19	पैरा—26	अनिर्णीत
20	पैरा—28	अनिर्णीत
21	पैरा—29	अनिर्णीत
22	पैरा—30	अनिर्णीत

(ङ) अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—(5,7)	अनिर्णीत
3	पैरा—10	अंशतः निर्णीत
4	पैरा—13 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा— 14	अनिर्णीत
6	पैरा—15	अनिर्णीत
7	पैरा—16	अनिर्णीत
8	पैरा—17 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा—18	अनिर्णीत
10	पैरा—20	अनिर्णीत

(च) अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—8	अनिर्णीत
3	पैरा—9	अंशतः निर्णीत
4	पैरा—10	अनिर्णीत
5	पैरा—11	अनिर्णीत
6	पैरा—12	अनिर्णीत
7	पैरा—15	अनिर्णीत
8	पैरा—16	अनिर्णीत
9	पैरा—17	अनिर्णीत

10	पैरा—19	अनिर्णीत
11	पैरा—20	अनिर्णीत

(छ) अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—(6,7)	अनिर्णीत
3	पैरा—9	अनिर्णीत
4	पैरा—10	अनिर्णीत
5	पैरा—11	अनिर्णीत
6	पैरा—12	अनिर्णीत
7	पैरा—13	अनिर्णीत
8	पैरा—15	अनिर्णीत
9	पैरा—16	अनिर्णीत
10	पैरा—17	अनिर्णीत
11	पैरा—20	अनिर्णीत
12	पैरा—21	अनिर्णीत
13	पैरा—22	अनिर्णीत
14	पैरा—23	अनिर्णीत
15	पैरा—24	अनिर्णीत

(ज) अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—(6, 7, 8, 9, 10)	अनिर्णीत
3	पैरा—12	अनिर्णीत
4	पैरा—15	अनिर्णीत
5	पैरा—16	अनिर्णीत

(झ) अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा—(6, 7, 8, 9)	अनिर्णीत

(ण) अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा— 14	अनिर्णीत

2	पैरा– 15	अनिर्णीत	

(ट) अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा– 15	अनिर्णीत	

(ठ) अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा– 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा कर दिया गया है)
2	पैरा– 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई है)
3	पैरा– 5	निर्णीत	(यथोपरि)
4	पैरा– 6	निर्णीत	(यथोपरि)
5	पैरा– 7	निर्णीत	(यथोपरि)
6	पैरा– 8	निर्णीत	(यथोपरि)
7	पैरा– 9	निर्णीत	(यथोपरि)
8	पैरा– 10	निर्णीत	(यथोपरि)
9	पैरा– 11	निर्णीत	(यथोपरि)
10	पैरा– 12	निर्णीत	(यथोपरि)
11	पैरा– 13	निर्णीत	(संतोषजनक उत्तर के उपरान्त निर्णीत)
12	पैरा– 14	निर्णीत	(नवीनतम वर्तमान स्थिति पुनः वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई है)
13	पैरा– 15	अनिर्णीत	(यथोपरि)
14	पैरा– 16	निर्णीत	(यथोपरि)
15	पैरा– 17	निर्णीत	(यथोपरि)
16	पैरा 18	रिट्रैचमैन्ट	(यथोपरि)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	152
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लगाए गए पैरे	17
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निपटाए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरे	15
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/14 तक)	154